District Education Officer
JAGDALPUR, Distt. Bastar

-:-कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर जिला जगदलपुर-:-

//आदेश//

क्रमांक/परीक्षा/मा./ 938 /03.04, जगदलपुर, दिनांक 9-4-03

शिक्षा संहिता अध्याया-3 के तहत 32 के अंतर्गत - - - - - - - - - - - सेंट जेवियर हाई स्कूल, जगदलपुर - - - - - - - - - - - को शैक्षणिक सत्र 03.04 के लिए कक्षा - STD-1st - -से कक्षा- STD-VIII th (आठवीं तक अध्ययन) तक अस्थायी मान्यता स्वयं के व्यय पर निम्न शर्तों पर दी जाती है -

1- शाला में शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का ही अध्यापन किया जा
2- समय समय पर प्रसारित नियमों आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
3- विभाग द्वारा किसीभी समय संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है।
4- प्रबंध शिक्षकों की संख्या, साज सज्जा, सामान तथा उपकरण आदि विभाग द्वारा अपेक्षित मानकों के अनुसार रखा जावे।
5- शिक्षक की नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित अर्हतायें तथा विषयों के अनुसार ही किया जावे तथा चयन समिति में स्व विभागीय प्रतिनिधि रखा जावे।
6- संस्था के आय व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट से किया जावे।
7- समय विभाग चक्र में "स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा" तथा कार्यानुभव एवं कला शिक्षक विषय का काल खण्ड निर्धारित किया जावे।
8- संस्था के सभी शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान रेखांकित चेक (क्रास्ड चेक) से किया जावे।
9- संस्था विधिवत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त होगी।
10- नियमों/आदेशों एवं निर्देशों का पालन न किए जाने पर तथा निरीक्षण के समय अनियमितता पाये जाने पर अस्थायी मान्यता बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
बस्तर जिला जगदलपुर

District Education Officer
JAGDALPUR, Distt. Bastar

पृ.क्रं./परीक्षा/मा./ 939 /03.04, जगदलपुर, दिनांक 9-4-03

प्रतिलिपि:-

1- प्राचार्य/प्रधान अध्यापक/व्यवस्थापक - सेंट जेवियर हाई स्कूल जगदलपुर को को और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर।
3- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
बस्तर जिला जगदलपुर

District Education Officer
JAGDALPUR, Distt. Bastar